न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 799 / 2022

अनवान : –

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल निवासी कोटसमीर जिला भटिण्डा पंजाब।

– **वादी**

बनाम्

1. रविन्द्र कौर पुत्री नरसिंह पत्नी मोहनसिंह जाति जटसिख निवासी बैमज दिवाना तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
2. वीरपाल कौर पुत्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल निवासी कोटसमीर जिला भटिण्डा पंजाब।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. बलवीर कौर पुत्री नरसिंह पत्नी जालौर सिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल निवासी चुगेकला तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
5. दर्शनकौर पत्नी नरसिंह जाति जटसिख निवासी भटेर पटटी कोटसमीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 11/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 107 / 95 के ख0न0 661 / 4 की 2.5930 हैक्ट भूमि में से 101 / 2593 हिस्सा वादी की माता श्यामा कौर पत्नी नरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व मे वादी के पिता नरसिंह पुत्र नत्थासिंह के नाम दर्ज थी तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी की माता श्यामा कौर के नाम दर्ज हुई तथा वादी की माता श्याम कौर की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 17 / 95 के ख0न0 661 / 4 की 2.5930 हैक्ट भूमि में से 101 / 2593 हिस्सा भूमि में वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं मृतक श्याम कौर का नाम जमाबंदी से कलमजन करवाकर इसी अनुसार [illegible]लय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कोई एतराज नही है। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता आदेश 1 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर वकील प्रतिवादी को एतराज नही होने के कारण स्वीकार किया जाकर बलवीर कौर एवं दर्शन कौर को बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 संयोजित किया किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा सोनड़ी खाता संख्या 107/95 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र श्याम कौर प्रदर्श–2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है वादी की माता श्याम कौर का देहान्त हो चुका है अतः श्यामकौर के वारिसान के नाम वाद भूमि दर्ज की जावे। प्रतिवादी स0 1 ता 2 व 4 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 107/95 के ख0न0 661/4 की 2.5930 हैक्ट भूमि में से 101/2593 हिस्सा वादी की मा[illegible] श्या[illegible]ौर पत्नी नरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 से साबित [illegible] श्याम कौर का देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में [illegible]यें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

श्यामकौर के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 107/95 के ख0न0 661/4 की 2.5930 हैक्ट भूमि में से 101/2593 हिस्सा भूमि श्यामकौर पत्नी नरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक श्यामकौर का नाम कलजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 799 / 2022

अनवान : –

1. गुरप्रीतसिंह पुत्र नरसिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल निवासी कोटसमीर जिला भटिण्डा पंजाब।

– वादी

बनाम्

1. रविन्द्र कौर पुत्री नरसिंह पत्नी मोहनसिंह जाति जटसिख निवासी बैमज दिवाना तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
2. वीरपाल कौर पुत्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल निवासी कोटसमीर जिला भटिण्डा पंजाब।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. बलवीर कौर पुत्री नरसिंह पत्नी जालौर सिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल निवासी चुगेकला तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
5. दर्शनकौर पत्नी नरसिंह जाति जटसिख निवासी भटेर पटटी कोटसमीर तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 799 सन 2022 निर्णय दिनांक - 11/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री संजय कुमार जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री सत्यनारायण कायल की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 107 / 95 के ख0न0 661 / 4 की 2.5930 हैक्ट भूमि में से 101 / 2593 हिस्सा भूमि श्यामकौर पत्नी नरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक श्यामकौर का नाम कलजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...11/10/23... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर